उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या-15/2018/1224/60-3-2018-3(21)/97
लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2018

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-105/60-3-2016-3(21)/97, दिनांक 17.01.14 के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा-2 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल उ0प्र0 राज्य महिला आयोग में नाम निर्दिष्ट श्रीमती विमला बाथम, नोएडा, मा0 अध्यक्ष, श्रीमती सुषमा सिंह, लखनऊ, मा0 उपाध्यक्ष तथा श्रीमती अंजू चौधरी, गोरखपुर, मा0 उपाध्यक्ष को एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक उ0प्र0 राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नामित करते हैं।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1224 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग,4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली।
6. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, गृह/गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ।
13. सचिव, उ0प्र0 समाज कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
14. सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, मोती महल, लखनऊ।
15. संबंधित जिलाधिकारी।
16. सम्बन्धित नामित मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष।
17. महिला एवं बाल विकास सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।